भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.*102

उत्तर देने की तारीख: 09.02.2023

खादी उत्पाद

***102. श्री मनोज तिवारीः**
डॉ. निशिकांत दुबेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्पादित खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09.02.2023 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *102 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

(i) खादी विकास योजना (केवीवाई) के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटक के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है ताकि खादी उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि, बाजार मांग के अनुसार नए उत्पादों का विकास और कारीगरों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। इनमें आईआईटी, दिल्ली द्वारा हल्के चरखों का विकास शामिल है, जिससे धागे की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी), एमएसएमई मंत्रालय का एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन्नत खादी यार्न रंगाई मशीन विकसित किया है और कम्प्यूटर समर्थित परिधान डिजाइन प्रणाली विकसित की है।

(ii) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली को हब के रूप में तथा निफ्ट, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और शिलांग को हब और सपोक मॉडल पर खादी के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है ताकि वैश्विक मानदंडों के लिए बेंचमार्क डिजाइन प्रक्रियाओं की स्थापना, नए फैब्रिक एवं उत्पादों का निर्माण हेतु उच्च स्तरीय फैब्रिक और कपड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों प्रसार किया जा सके।

(iii) खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) के अंतर्गत, पुराने चरखों एवं करघों को नए चरखों एवं उन्नत डिजाइन और दक्षता वाले करघों से प्रतिस्थापित किया है। इसके अलावा, उन्नत गुणवत्ता की रंगाई, प्रिंटिंग एवं डिजाइनों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। गुणवत्तायुक्त खादी उत्पादों के उत्पादन हेतु कारीगरों को सशक्त करने के लिए कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ख) एवं (ग): भारत सरकार ने खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) के अंतर्गत खादी संस्थानों (केआई) को प्रत्यक्ष सुधार सहायता (डीआरए) प्रदान किया है ताकि उनके उत्पादन एवं विपणन कार्यकलापों में सुधार लाया जा सके। इसके अलावा, केवीवाई के खादी घटकों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा उत्कृष्टता केन्द्रों में विभिन्न इंटरवेंशन (हस्तक्षेपों) के माध्यम से खादी क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

वर्ष	वित्तीय सहायता (करोड़ रुपए में)
2019-20	31.28
2020-21	12.85
2021-22	7.39

*****